

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021 / 00006

1. अब्दुल सलाम आत्मज स्व० श्री मामराज जाति मुसलमान ।
2. अब्दुल निजाम आत्मज स्व० श्री मामराज जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 09.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील दीगोद में प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1940 की रकबा 0.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 1941 की रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 2060 की रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 2061 की रकबा 0.21 हैक्टर भूमि स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 01 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1933 की रकबा 0.63 हैक्टर एवं प्रार्थी क्रम 02 के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1934/2272 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1937 की रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 1938 की रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1906 की रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 1942/2266 की रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 1902/2218 की रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम कैथून में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत

काश्तकार लगभग 30-35 वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर कायम किये गये । प्रार्थीगण के पिता का उक्त भूमि पर पिछले 60-70 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार बन चुके हैं । खसरा नम्बर 1223 की 44 बीघा भूमि में से 11 बीघा भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा प्रार्थीगण के पिता को पूर्व में ही किया जा चुका है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण खातेदार कृषक बन चुके हैं । अप्रार्थी उक्त भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन/नियमन करने पर आमादा है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार की बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे । उक्त भूमि को प्रार्थीगण के अलावा अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को नियमन व आवंटित नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही उनके किसी प्रतिनिधि से करावें ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.10.2020 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।
5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.10.2020 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्त ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का पिछले 30-35 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक बन चुके हैं । प्रार्थीगण अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना प्रकरण पूर्णतया प्रमाणित कर दिया था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।
6. अपीलान्त ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था उन्होंने कोराना काल में तारीख पेशियों पर आने से मना कर दिया इसलिए वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये और न ही उनके वकील द्वारा उन्हें कोई सूचना दी गई । अपीलान्त दिनांक 16.12.2020 को कोटा आये और उन्होंने प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी की तो पता चला कि निर्णय पारित कर दिया गया है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।
7. अपील अपीलान्त सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।




8. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्त का वादग्रस्त आराजी का काफी देरीना लगातार कब्जा काश्त है । वादी अपीलान्त ने अपने पक्ष में वादग्रस्त आराजी के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । लगातार 30-35 वर्षों से वादी का कब्जा है । वादीगण के पिता का 60-70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । 11 बीघा का आवंटन पूर्व में किया जा चुका है । कानूनन वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हो चुके हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति वादी अपीलान्त के पक्ष में है फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 निरस्त फरमाया जावे ।
9. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है जिस पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्त का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 बहाल रखा जावे ।
10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्त ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।
11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील वर्ष 2001-02, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के नोटिस एवं कुछ रसीदों की फोटो प्रतियाँ भी संलग्न हैं ।
12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है । इस प्रकार वादी अपीलान्त ने सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है और अपने पक्ष के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील और धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की प्रतियाँ पेश की गई हैं । सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है तदनुसार

प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण्य क्षति वादी अपीलान्त के पक्ष में तय नहीं पायी जाती है । धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करके बेदखली की कार्यवाही की जाती है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2020 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जैठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा